खेतलपुर भंसोली,बुलंदशहर फैक्टफाइंडिंग रिपोर्ट

सावित्री देवी की मोत की फैक्टफाइंडिंग करने का मकसद- कुछ सालों से समाजिक और आर्थिक तोर से पिछड़े लोगों खास कर दलित अल्पसंख्यक ओर मुसलमानों को नफरत से प्रेरित हिंसा का शिकार होना पड़ रहा है, ऐसी घटनाओं की संख्या रोजाना बढ़ती जा रही है,कहीं हिंसा का कारण जाती,धर्म और गाय है तो कहीं हिंसा लड़कियों के साथ छेड़खानी और उनकी रक्षा के नाम पे होती है, भीड़ और लोगों के समूह नफरत की राजनीती से परभावित होकर बड़े स्तर पर हिंसात्मक रूप लेते जा रहे हैं अगर कहा जाये कि अब बड़े दंगों ने इस तरह की घटनाओं का रूप लेलिया है तो बिलकुल सही होगा. ऐसी घटनाओं की जांच पड़ताल करना और उनके पीछे के सच और हकीकत को ढूंडकर उन पीड़ितों को इंसाफ दिलाना आज सभ्य समाज और बुध्दिजीवी वर्ग के लिए बहुत ही ज़रूरी होगया है. नफरत पे आधारित हिंसा की लोकतान्त्रिक देश में कोई जगह नही जिस के विरुध्द बोलना ,सख्ती से खड़ा होना और हिंसा से परभावित लोगों की हर तरीके से मदद करना बहुत ही ज़रूरी होगया है |

हमारे लिए खेतलपुर भंसोली जिला बुलंदशहर में हुई घटना, जिस में एक गरभवती दलित महिला को ऊंची जाती की एक महिला व उसके बेटे द्वारा बड़ी बे रहमी से पीटा गया था, के बारे में जानना पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना व उसके साथ सहानुभूति परकट करना बहुत ही ज़रूरी था जिस से परिवार उस घटना की त्रासदी से जल्द से जल्द बहार आ सके. इस घटना की जांच के समभंद में अमन बिरादरी की टीम भंसोली गाँव में 27-10-2017 को पहुंची और सभी तथ्यों को जानने की कोशिस की साथ ही परिवार को क़ानूनी परक्रया के बारे में अवगत कराया और पीड़ित परिवार को साथ लेजाकर परशासन से मिलवाया गया|

<u>खेतलपुर भंसोली गांव की सामाजिक व आर्थिक स्तिथि</u>- भंसोली गांव बुलंदशहर से लग भग 5 की0 मिटर खुर्जा व अलीगढ रोड पर है इस गांव की ये एक खास बात है की यहाँ बहुत सारी जातियां रहती हैं, सब से बड़ी जाती संख्या के हिसाब से दलित जाटव है उसके बाद हिन्दू राजपूत व कुछ मुस्लिम राजपूत भी हैं, नाई, सक्के,लुहार फ़कीर,धोबी व अन्य कई मुस्लिम जातियां हैं, दलित बाल्मिकियों के लग भाग 5 घर हैं.राजपुतों के पास खेत की ज़मीन है और व्ही उनका बड़ा व्यवसाय है,कुछ लोग सरकारी नोकरियों में भी हैं, अन्य जातियों में जयादा तर लोग मजदूरी करते हैं, दलित जाटव और मुस्लिम राजपुतों के पास भी खेती की ज़मीन है मगर सब के पास नही. जन संख्या के हिसाब से देंखें तो गाँव में दलित सब से ज्यादा ,उसके बाद राजपूत, उसके बाद मुस्लिम और अन्य जातियां हैं. गाँव की परधान एक मुस्लिम राजपूत महिला है, उसका देवर सरफुद्दीन पंचायत का पूरा काम देखता है|

गांव में बात चीत करने से पता चला की राजपुतों का ही यहाँ सिक्का चलता है सभी उनसे डरते हैं और सामाजिक तोर पर भी कमज़ोर हैं.

<u>सावित्री देवी की मोत का घटना क्रम</u>- दिनाक 15-10-2017 को सुबह **8** बजे सावित्री देवी अपनी दस वर्षीय लड़की मनीषा के साथ लोगों के घरों में काम करने निकलती है. मनीषा को इस लिए साथ लेजाती थी की सावित्री 9 महीने की गर्भवती थी इस लिए वह लड़की से काम में मदद लेती थीं. लग भाग 9 बजे वह अफसर पुत्र भूरा के यहाँ से साफ सफाई करके निकली अफसर तो घर पे नही था लेकिन उसकी बीवी मुफीदा घर पे ही थी. सावित्री देवी जैसे ही असफर के घर से निकलती है तो सामने ही अंजू पत्नी विनोद अपने घर के सामने तसले में कूड़ा लिए खड़ी थी पीछे से तभी एक वाहन आगया जिस के कारण सावित्री देवी अंजू देवी के घर के दरवाजे की तरफ लपकी उसी समय सावित्री देवी का हाथ अंजू देवी

से लग गया अंजू राजपूत ठाकुर जाती से थी वो ये सहन नही कर पाई की दलित वो भी भंगी जाती की महिला ने उसे छु लिया. देखना क्या था की अंजू ने सावित्री के साथ गाली गलोच और मार पीट शुरू करदी, अंजू ने अपने बेटे रोहित को भी आवाज़ दी वो एक डंडा लेकर आया और आते ही मारना शुरू करदिया, रोहित ने सावित्री देवी को लात घूसे भी मारे जब वो ज़मीन पर गिर गयी तो उसके पेट पर कई लात मारी. सावित्री की लड़की मनीषा घर की तरफ दोडी ताकि घर पे खबर करदे, दिलीप सावित्री के पति को जैसे ही पता चला वो घटनास्थल की तरफ दोडा उसने देखा की सावित्री धीरे धीरे चलते हुये आरही है दलीप उसे संभालते हुये घर लेगया और फिर घटना के बारे में पूछा सावित्री ने बताया की उसके सर में और पेट में ज्यादा चोट लगी है अंजू और उसके बेटे रोहित ने डंडे और लात घूसों से पिटाई की है|

दिलीप ने हमें बताया की चोट सभी जगह दिखाई नही दे रही थी इसी लिए कुछ मेरी भी समझ में नही आया लेकिन मेरी पत्नी की तकलीफ और परेशानी बढ़ती जा रही थी. सर और पेट में गुम चोट होने के कारण उस से लेटा और बैठा भी नही जारहा था|

<u>पुलिस द्वारा भेद भाव-</u> लग भाग 11 बजे दिलीप पुलिस चोकी शिकायत करने गया वहां चोकी इंचार्ज S.I. पाठक से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा तुम चलो हम आरहे हैं लेकिन 1 बजे तक इंतजार करने तक कोई नही आया, फिर 100 न0 पर फोन किया तब पुलिस आई लेकिन किसी तरह की कोई कारवाई नही की बल्कि थाने जाने का मशवरा दिया. उसके बाद दिलीप अपनी पत्नी को लेकर जैसे कैसे थाना देहात बुलंदशहर पहुंचा जहां पीड़ित परिवार ने पूरी घटना की जानकारी लिखित में दी लेकिन तभी S.I. पाठक वहां आ गया और वो तहरीर थाना मुन्शी से लेली की में चोकी इंचार्ज हूँ में देखता हूँ, लेकिन कोई कारवाई नही हुई|

दिलीप ने बताया की मेरी पत्नी की हालत बिगडती गयी फिर 18-10-17 को पत्नी को लेकर पुलिस अधिक्ष के पास गया उन्होंने मुझे थाने भेज दिया की जाओ अब इस पर कारवाई होगी. थाने आया तो तहरीर थाना इंचार्ज को दे दी थाने से एक महिला सिपाही के साथ सावित्री को अस्पताल मेडिकल के लिए भेज दिया.

सब से महत्त्पूर्ण बात यह है की पीड़ित द्वारा तहरीर 15 को और फिर 18 तारिख को सुबह 10 बजे दी गयी लेकिन FIR 20-10-17 को शाम 4:30 पर 323 और 504 धारा में रजिस्टर की गयी इस दोरान कोई कारवाई मुलजिम के खिलाफ नही की गयी. 21-10-17 को सावित्री की मोत के बाद पुलिस ने 304 और 316 भी उसमे जोड़ दी है.

<u>अस्पताल द्वारा भेद भाव</u>- 18 तारीख को पुलिस के द्वारा मेडिकल के लिए एक महिला सिपाही के साथ सावित्री को बुलंदशहर के सरकारी अस्पताल भेजा दिलीप ने बताया की जब डॉ0 के कमरे में हम दाखिल हुवे तो मेरी पत्नी को 5 मिटर की दुरी पर बैठा दिया गया और बिना हाथ लगाये और छुवे डॉ0 ने अपनी जांच पूरी करली ना ही कोई दवाई दी गयी बल्कि जब दवाई के बारे में पूछा तो महिला सिपाही ने कहा बहार से दर्द की गोली ले लेना. 20-10-17 को फिर तबियत जयादा खराब होने पर उसी अस्पताल में लेग या तो डॉ0 ने दवाई दी और घर जाने को बोल दिया|

दिलीप ने बताया की में सावित्री को वापस घर ले आया किसी निजी अस्पताल ले जाने के लिए और उपचार कराने के लिए मेरे पास पैसे नही थे लेकिन सावित्री की तबियत और ज्यादा बिगडती गयी. उस दिन वह दिन रात परेशान रही में भी किसी से मदद नही मांग सका अगले दिन सुबह 21 तारिख को फिर सावित्री को सरकारी अस्पताल ले गया, लग भग 10 बजे थे अब उसकी तबियत हद से ज्यादा

बिगड़ गयी थी, उसे एक कमरे में स्ट्रेचर पर लिटा दिया गया और मुझे बहार जाने को कहा, में अकेला उसके साथ था में अंदर उसके साथ रह सकता था लेकिन नही रुकने दिया कुछ देर बाद मेने अंदर झांक कर देखा तो सावित्री अकेली स्ट्रेचर पर पड़ी थी में उस के पास गया तो मर चुकी थी किसी ने मुझे नही बताया वो कब मरी कैसे मरी, में उसे सीधे पुलिस स्टेशन लेग या पुलिस ने वापस PM के लिए अस्पताल भेजा PM के बाद पता चला की बच्चा पेट में चोट लगने से मर गया था और सर में कान के पीछे दोनों तरफ खोपड़ी टूटी हुई है जिस से सावित्री की मोत होगयी| दिलीप ने बताया, इलाज के दोरान मेरी पत्नी को किसी ने छुआ नही और उसे ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया, मुझे ऐसा लगता है|

<u>कानूनी परक्रया और हमारी टीम द्वारा परिवार को मदद-</u> जब हमारी टीम भंसोली पहुंची तो गाँव में सन्नाटा पसरा था ज्यादा तर लोग खेतो में या मजदूरी करने गये थे,हम दिलीप से बात कर ही रहे थे की परवीन पत्नी स्वर्गीय शकील जो इस केस में गवाह है और ईमरान उसका भतीजा आ गये, उनसे घटना के बारे में बात चीत की, परवीन ने बताया की में और मेरा जेठ मंशूर अली ने ये घटना अपनी आंखों से देखि है, और भी कई लोग देख रहे थे लेकिन अब सब चुप हैं जिनके यहाँ सावित्री काम करने गयी थी, मुफीदा वो भी वहां खड़ी थी लेकिन डर रही है, लेकिन हम इस के मामले में गवाही के लिए तय्यार हैं|

दिलीप से FIR के बारे में बात हुई तो उसने बताया की मेरे पास कुछ नही है पूछ ने पर उसने बताया, मुझे तो नही पता किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है और मुलजिम पकडे गये या नही. हमारी टीम ने कहा कि चलो थाने चलते है वहां जाकर पूछते हैं, इस पर उसने कहा मुझे धमकियाँ मिल रही है, उनके परिवार के लोग इस का खमियाजा भुगतने की बात कर रहे हैं तो अकेले जाते हुए डर लगता

है,दिलीप ने अपने पडोसी और अपने भाई, ताया के लड़के से चलने के लिए पूछा उसने साथ आने के लिए मना करदिया, फिर उसने इमरान से कहा की चलो तुम चलो, शुरू में उसने मना करदिया फिर हम ने कहा हम साथ जायगें और वापस भी छोड़ देंगे तो इमरान तैयार होगया|

जैसे ही हम गाँव से निकले कल्लू दिलीप का रिशतेदार का फोन आगया उसने दिलीप को गुड्डू पंडित की कोठी पर आने के लिए बोला, अगले 10 मिनट में हम वहां पहुंचे तो देखा दलित समाज के 10-15 लोग जमा हैं और पता चला की गुड्डू पंडित पूर्व बसपा MLA रहे हैं उनकी कोठी तो बंद पड़ी थी लेकिन पास में ही हम सब लोग एक मकान में बैठ गये, पहले एक दुसरे के बारे में हम ने जाना तो पता चला की उन दलित साथियों में कई सफाई करमचारी यूनियन के पद अधिकरी है और एक संगठन **दलित शोषण मुक्ति मंच** के नाम से बनाया है उसी के बैनर से ये मीटिंग का आयोजन हुआ, अलग अलग सभी ने अपनी बात रखी अमन बिरादरी टीम ने भी कहा की दलित अत्त्याचार विरोधी कानून में मुवावजे का प्रावधान है जिस के संभंद में हमें पुलिस अधीक्षक व जिला अधिकरी से मिलना चाहिए साथ ही ये देखना चाहिए की सावित्री की मोत होने पर केस में पुलिस द्वारा और किन धाराओं को जोड़ा है. आखिर में ये ते हुआ की सोमवार को परशासन से मिला जायेगा, मीटिंग ख़तम हुई तो दिलीप कल्लू और इमरान और हमारी पूरी टीम SSP ऑफिस चले गये,3 बजे थे अब उनका मिलना मुश्किल था लेकिन मुझे ध्यान आया आया की दलित अत्तायाचार के मामलों में सी.ओ. जांच करते हैं उनका ऑफिस भी वहीं पे था हम सभी उन से मिलने चले गये|

C.O. प्रमोद कुमार 2014 बेच के IPS हैं जो अभी ट्रेनिग पे हैं उनसे बात हुई तो उन्होंने सचिन कुमार को बुलाकर हम से बात करने को कहा और खुद किसी मीटिंग के लिए जल्दी में निकल गये. सचिन ने बताया की 304 और 316 धाराएं

और जोडली गयी है, और आज ही दोनों मुख्य आरोपियों को जेल भेज दिया है. सचिन ने बताया की आज ही प्रोमोद कुमार जी ने मुवावजे का भी आदेश जिलाधिकारी को भेज दिया है| कलेक्ट्रेट से हम 4 बजे बाहर आये दिलीप और इमरान को वापस गांव छोड़ा उसके बाद मेरठ से होते हुए शामली निकल गये|

टीम मेम्बर

अकरम अख्तर

राहुल कुमार

मोहसिन खान